संख्या– 6(अ)/XX(4)–231/कारा0–03/2006

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

कारागार अनुभाग देहरादून: दिनांक 22 फरवरी, 2007

विषय: औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने हेतु सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज की भूमि औद्योगिक विकास विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून के पत्र संख्या–5516 एम0डी0/सिडकुल सितारगंज/2007, दिनांक 9 फरवरी, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, उधमसिंहनगर की 186.67 एकड़ भूमि (जिसका विवरण निम्नानुसार है) औद्योगिक आस्थान के प्रयोजन हेतु औद्योगिक विकास विभाग को निम्न शर्तों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त भूमि सर्किल रेट पर भुगतान के शर्त पर हस्तान्तरित की जाएगी।
2. जिस परियोजना के लिये प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह राज्य सरकार द्वारा एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो।
3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा एतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
4. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
5. जेल शिविर को जाने वाली सड़क 60 मीटर चौड़ा किया जायेगा, जिसका धरणाधिकार राज्य सरकार के पास बना रहेगा एवं यह मार्ग स्थापित हो रहे केन्द्रीय कारागार, शिविर वासियों, कार्मिकों के लिए स्थायी रूप से उपलब्ध रहेगा।
6. औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जेल मैनुवल के प्राविधानों तथा इस नियम में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप शिविरवासियों (बंदीगण) के ब्लाकों तथा वहां पर प्रवासित कारागार कार्मिकों हेतु आवास लालरखास ब्लाक (केन्द्रीय कारागार, सितारगंज) में किया जाएगा, जब इस प्रकार आवश्यक अवस्थापनायुक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगें, तभी उक्त ब्लाकों के शिविर को स्थानान्तरित किया जायेगा। तब तक इन परिसरों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नहीं की जायेगी। इस ... आदि

जाने समस्त व्यय भार औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

भविष्य में इन हस्तांतरित भूखण्डों पर स्थित वृक्षों से जो भी आय औद्योगिक विकास विभाग को होगी वह समस्त धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी।

औद्योगिक आस्थान हेतु हस्तान्तरित होने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

ग्राम का नाम	क्रमांक	खसरा संख्या	एरिया (हैक्टेयर में)
बारा	1.	1	2.118
	2.	3	8.366
	3.	4	0.054
	4.	5	1.853
	5.	6	0.762
	6.	7	1.122
	7.	8	2.659
	8.	9	0.177
	9.	10	0.616
	10.	11	0.079
	11.	12	0.253
	12.	13	0.091
	13.	14	0.366
	14.	15	1.113
	15.	16	1.356
	16.	17	3.958
	17.	18	0.011
	18.	19	0.051
	19.	20	2.059
	20.	21	0.126
	21.	22	0.243
	22.	23	0.635
	23.	24	0.158
	24.	25	2.599
	25.	26	1.809
	26.	27	2.498
	27.	28	8.233
	28.	29	0.114
	29.	30	8.978
	30.	34	0.237
	31.	35	0.319
कुल			52.974 (130.9 एकड़)

ग्राम का नाम	क्रमांक	खसरा संख्या	एरिया (हेक्टेयर में)
कल्यानपुरी	1.	145	[illegible].200
	2.	146	3.75[illegible]
	3.	147	7.557
	4.	148	0.031
	5.	149	2.680
	6.	152	1.100
	7.	72	6.201
कुल			22.569 (55.76 एकड़)
सम्पूर्ण योग			186.67 एकड़

2. कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही आयुक्त कुमाऊँ मण्डल के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
3. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।